बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

"बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली–2013"

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या :– 8/व 3–157/2003 अंश-I ...1318...   पटना, दिनांक :– ...16/9/13...

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" का संशोधन आगे दी गयी रीति से किया जाना आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब "बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त नियमावली में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है ।–

संक्षिप्त नियम, विस्तार एवं प्रारंभ ।– (1) यह नियमावली "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2013" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का भाग 5, (नियम 13 से 72) का संशोधन ।– उक्त नियमावली 2011 का भाग 5 (नियम 13 से 72) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"भाग– V"

विद्यालय शिक्षा समिति

अधिनियम की धारा 21 एवं 22 के प्रयोजनार्थ विद्यालय शिक्षा समिति का गठन एवं कार्य।

13. (1) **समिति का गठन ।**– राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए एक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जायेगा जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत मातायें होंगी।

(2) **समिति के सदस्यों की संख्या ।**– समिति के सदस्यों की कुल संख्या 17 होगी जिसमें निम्नवत् सदस्य होंगे :–

(क) ग्राम पंचायत/नगर निकाय के सम्बन्धित वार्ड के वार्ड सदस्य जिसमें विद्यालय अवस्थित है ।– 1 (एक)– पदेन अध्यक्ष;

(ख) विद्यालय का प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक – 1 (एक)– सदस्य;

(ग) छात्र–छात्राओं की माताएँ (चयनित) – 09 (नौ) (चयनित) – सदस्य :– पिछड़ा वर्ग से दो, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से दो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से दो, सामान्य जाति से दो तथा एक माता सदस्य निःशक्त बच्चें की माता होगी।

(घ) जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान – 2 (दो) सदस्य;

(ङ०) छात्र प्रतिनिधि (चयनित) – 2 (दो)– सदस्य;

(एक छात्र प्रतिनिधि बाल संसद तथा एक छात्रा प्रतिनिधि मीना मंच की होगी। किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।)

(च) विद्यालय के वरीयतम शिक्षक – 1 (एक)– सदस्य;

(छ) दाता, जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकतम भूमिदान किया हो अथवा विद्यालय निधि में 10 लाख रूपये अथवा दस लाख रूपये से अधिक राशि दिया हो तो उन्हें या उनके द्वारा नामित उनके परिवार के कोई सदस्य – 1 (एक) – सदस्य;

सम्बन्धित संकुल समन्वयक को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

(3) **सदस्यता के लिए पात्रता ।**– विद्यालय के पूर्ववर्ती वर्गों में, जिन बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम होगी वैसे बच्चों की मातायें समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किये जायेंगे, लेकिन वर्ग–1 के बच्चों की माताओं के मामले में यह लागू नहीं होगा।

(4) **समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया ।**– विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा, सम्बन्धित संकुल समन्वयक की सहमति से, नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों की एक आम सभा बुलाई जाएगी। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी। बैठक में संकुल समन्वयक की देख–रेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाएगा।

(5) **विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन ।**– समिति के गठन के उपरान्त, संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा।

(6) **समिति के गठन के संबंध में अपील ।**– समिति के गठन के विरूद्ध शिकायत के संबंध में, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान) के पास, गठन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, अपील दायर किया जा सकेगा। अपील का निष्पादन इसके दायर होने के 30 दिनों के भीतर किया जायेगा।

(7) **समिति का अध्यक्ष ।**– सम्बन्धित वार्ड सदस्य समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(8) **समिति का सचिव ।**– समिति के सचिव का चयन चयनित सदस्यों के द्वारा अपने में से बहुमत से किया जाएगा।

(9) **समिति का कार्यकाल ।**– समिति का कार्यकाल निबंधन की तिथि से तीन वर्ष तक होगा। समिति का पुनर्गठन उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व किया जायेगा।

(10) बैठक का कोरम ।– बैठक के कोरम के लिए दो–तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। कोरम की अनुपस्थिति में, बैठक स्थगित कर दी जाएगी किन्तु जब उसी ऐजेण्डा के लिए पुनः बैठक बुलाई जाती है तो कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(11) विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक ।– समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से सचिव के द्वारा बैठक बुलायी जायेगी। यदि अध्यक्ष के द्वारा लगातार तीन माह तक बैठक बुलाने की अनुमति न दी जाय तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को समिति के सचिव को बैठक बुलाने हेतु नोटिस जारी करने का अधिकार होगा। तद्नुसार सचिव समिति की बैठक बुलायगा। यदि बैठक में अध्यक्ष भाग नहीं लेते हैं तो समिति के उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन उस बैठक के लिए किया जा सकेगा।

(12) विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का हटाया जाना ।– यदि विद्यालय शिक्षा समिति का कोई सदस्य, समिति की बैठक में, बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें तो समिति के अन्य सदस्यों द्वारा, बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मी की उपस्थिति में, प्रस्ताव पारित होने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। हटाये गए सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य का चयन नियम 13 (4) के अनुसार शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(13) समिति के सदस्यो का त्याग–पत्र/हटाया जाना ।– समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र समिति के अध्यक्ष को दे सकेंगे तथा इसकी एक प्रति संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी जायगी। त्याग–पत्र का अधिप्रमाणन समिति के अध्यक्ष के द्वारा पत्र प्राप्ति के दो दिनों के भीतर कर ली जायेगी। त्याग–पत्र देने के पाँच दिनों के भीतर त्याग पत्र वापस लिया जा सकेगा। इसकी औपचारिक घोषणा अध्यक्ष के द्वारा की जायेगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं अन्य सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी से करवा सकेंगे। यदि शिकायत सत्य पायी जायेगी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से सदस्यों को समिति की बैठकों के लिए निलंबित किया जा सकेगा, चेतावनी दी जा सकेगी या समिति से हटाया जा सकेगा। कदाचार तथा समिति की निधि के विपथन एवं दुर्विनियोग के मामले में, सचिव को हटाने सहित विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी। हटाये जाने के चलते उत्पन्न रिक्तियाँ विहित प्रक्रिया के अनुसार भरी जा सकेगी।

(14) विद्यालय शिक्षा समिति का विघटन ।– अगर सरकार का यह समाधान हो कि किसी विद्यालय की शिक्षा समिति, नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, विद्यालय के हित में कार्य नहीं कर रही है तथा विद्यालय का विकास इस समिति से संभव नहीं है या समिति बच्चों के शिक्षा के अधिकार के दायित्वों का अनुपालन करने में असफल रही है अथवा सरकार द्वारा निदेशित कार्यो को पूरा करने में असफल रह रही है तो सरकार, वर्त्तमान समिति को विघटित करते हुए, नई समिति का गठन करने का विनिश्चय कर सकेगी। सरकार ऐसा विनिश्चय जिला शिक्षा पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी एवं अन्य के प्रतिवेदन के आधार पर कर सकेगी।

(15) **विद्यालय शिक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य** ।– विद्यालय शिक्षा समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे :–

(क) विद्यालय के संचालन का अनुश्रवण करना;

(ख) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधि का उचित उपयोग;

(ग) विद्यालय के पोषक क्षेत्र के भीतर 6–14 आयुवर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना तथा बच्चों की शिक्षा के अधिकार की पूर्ति में सहयोग करना;

(घ) सरकार के नियमों के अनुसार, विद्यालय का भवन निर्माण, एवं भवन के रख–रखाव में जन अंशदान प्राप्त करना;

(च) नियमानुसार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका पर्यवेक्षण करना;

(छ) यह ध्यान रखना कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो में नहीं लगाया जाय;

(ज) शिक्षकों के लगातार अथवा आदतन अनुपस्थिति, उनके द्वारा बच्चों की प्रताड़ना, अपमान अथवा भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन देना;

(झ) प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 2 (दो) माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिये गए दिशा–निर्देश के आलोक में तैयार की जायेगी जिसमें विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य योजना तथा विद्यालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न अनुदानों के व्यय के भी प्रस्ताव का विवरण होगा। समिति द्वारा तैयार की गई विद्यालय विकास योजना को माता–पिता एवं अभिभावकों की सामान्य निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अनुमोदित विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय को प्रेषित की जायगी;

(ट) समय–समय पर आवश्यकतानुसार समिति को अन्य कार्य भी सौंपे जा सकेंगे।

(16) **विद्यालय शिक्षा विकास निधि** ।– प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा विकास निधि के नाम से एक निधि का सृजन किया जाएगा। विद्यालय विकास हेतु प्राप्त सभी राशि इस निधि के खाते में जमा की जाएगी। खाते का संचालन **समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव** तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। समिति को अधिकार होगा कि वह जनभागीदारी से विद्यालय के विकास हेतु नगद राशि, एवं सामग्री प्राप्त कर सके। जन अंशदान के माध्यम से प्राप्त राशि भी विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में जमा की जाएगी, किन्तु इसके व्यय के लिए एक अलग पंजी संधारित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा विकास निधि के अंकेक्षण कराने की व्यवस्था सरकार करेगी। जन अंशदान से प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप में व्यय की जा सकेगी :–

(क) कोष में दान स्वरूप प्राप्त राशि में से एक लाख रूपये से अधिक का व्यय विद्यालय शिक्षा समिति की अनुशंसा और जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन पर संबंधित समिति के द्वारा किया जा सकेगा। एक लाख रूपये तक का व्यय समिति के द्वारा की जा सकेगी।

(ख) एक लाख रूपया या इससे अधिक किसी एक दानदाता से दान स्वरूप प्राप्त राशि का व्यय दाता की अनुशंसा के अनुरूप विद्यालय हित में किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, अगर दाता विद्यालय में चापाकल के स्थापना अथवा छात्राओं के लिए शौचालय के निर्माण के लिए अनुशंसा करते हैं तो तदनुसार राशि खर्च की जायगी। अगर दाता अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो दान स्वरूप प्राप्त राशि मूलतः विद्यालय की आधारभूत संरचना यथा–उपस्कर, ब्लैकबोर्ड, चापाकल–स्थापना, शौचालय का निर्माण, मरम्मति आदि पर व्यय की जा सकेगी।

(ग) अगर किसी व्यक्ति द्वारा एक करोड़ या एक करोड़ रूपये से अधिक की नगद राशि विद्यालय निधि में दान की जाती है तो विद्यालय के मुख्य–द्वार पर उस व्यक्ति अथवा उसकी इच्छा के व्यक्ति का नाम लिखा जा सकेगा।

(17) **पंचायती राज संस्था/नगर निकायों के साथ समन्वय :–** विद्यालय शिक्षा समिति पंचायती राज संस्थाओं/नगर निकायों की उप समिति के रूप में कार्य करेगी जैसा कि सम्बन्धित अधिनियम /नियमावली में विहित हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/9/13

(अमरजीत सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/व 3–157/2003 अंश-I 1318 पटना, दिनांक :– 16/9/13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सभी निदेशक शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी नगर आयुक्त नगर निगम/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/9/13

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 8/व 3–157/2003 अंश-I 1318 पटना, दिनांक :– 16/9/13

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ कार्यालय कार्य हेतु उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के प्रधान सचिव।

13/9/13